न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट
जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 05/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. असगर पुत्र करीमखां जाति - तेली निवासी - आमला तहसील - लोहावट जिला - फलोदी		1. कानाराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी आमला तहसील लोहावट जिला फलोदी 2. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक फलोदी 3. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही।

निर्णय

दिनांक 15.07.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :- प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल आमला के राजस्व ग्राम आमला के खसरा नम्बर 4/1 रकबा 12.4643 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के चिपता चिपत अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9/2 रकबा 2.2015 हैक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण की उक्त भूमि से आगे कटाण मार्ग है प्रार्थी की खातेदारी भूमि से सार्वजनिक रास्ता जो अप्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण - पूर्व की तरफ स्थित है तक पहुच मार्ग नही होने से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मार्क ए से बी रास्ता दिये जाने की मांग की लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से ईन्कार कर दिया। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग पढा जावें। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से कटाण मार्ग तक एवं कटाण माग से अपनी जोत तक आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी रास्ता सर्वाधिक निकटतम रास्ता है। अपनी भूमि तक पहुचने का एक मात्र निकटतम रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाया गया ओर इस दर्शाये रास्ते के अलावा कटाण मार्ग तक पहुचने का कोई अन्य दुसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। नजरी नक्शा में

(मुहर: सहायक कलक्टर लोहावट जिला फलौदी)

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एक मात्र नजदीकी रास्ता है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही करवाना चाहते है प्रार्थी ने कई बार रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा परन्तु मामला परस्पर सहमति से तय नही हुआ। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर से निस्कम रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी 30 फुट चोड़ा रास्ता तय किया जाकर दिलाया जावें एवं मार्क ए से बी रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी. एल. सी की दर के अनुसार रास्ते की भूमि प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन तथा खाद बीज व अनाज एवं चारा आदि ट्रेक्टर ट्रॉली व गाडी से लाने ले जाने के लिए 30 फुट चोड़े रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रेक्टर ट्रॉली आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता मार्क ए से बी लघुतम एवं निकटतम् रास्ता है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4/1 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9/2 में से 30 चौड़ा रास्ता मार्क ए से बी रास्ता स्वीकृत कर दिलाया जावें तथा ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता घोशित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण का सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन तामिल होने के बावजूद अप्रार्थीगण न्यायालय में हाजिर नही आये उन्हे बार बार आवाजे लगवायी गयी उसके उपरान्त भी उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार लोहावट से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार लोहावट ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए नियत की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयीं। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल आमला के राजस्व ग्राम आमला के खसरा नम्बर 4/1 रकबा 12.4643 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही है प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के चिपता चिपत अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9/2 रकबा 2.2015 हैक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण की उक्त भूमि से आगे कटाण मार्ग है प्रार्थी की खातेदारी भूमि से सार्वजनिक रास्ता जो अप्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण - पूर्व की तरफ स्थित है तक पहुच मार्ग नही होने से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मार्क ए से बी रास्ता लिये जाने की मांग की लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से

न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट ★ जिला फलौदी ★

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

ईन्कार कर दिया। चहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के सर्वाधिक निकटतम रास्ता है इसके अलावा कटाण मार्ग तक पहुचने का कोई अन्य दुसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी साबित है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर से मौका रिपोर्ट माफिक रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन मौका देखने से पूर्व पक्षकारो को विधिवत नोटिस जारी किये गये उसके बाद मौका रिपोर्ट तैयार की जानी पायी गयी। मौका रिपोर्ट के माफिक प्रार्थी की भूमि तक पहुच मार्ग नही है ओर चहा गया रास्ता सर्वाधिक नजदीकी रास्ता है। रास्ता का रकबा मौका रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के नजरी नक्शा के मार्क ए से बी की लम्बाई 140 मीटर व चौड़ाई 06 मीटर का रकबा 0.0840 हैक्टेयर बनता है प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच मार्ग नही होने से यह रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार लोहावट की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी 140 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0840 हैक्टेयर रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 9/2 में से प्रार्थी को डीएलसी राशि की दुगनी राशि 68308/-रूपये के ऐवज में अनुज्ञात किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तदुपरांत मौके पर रास्ता चालू करवाया जावें। अप्रार्थी द्वारा मांग किये जाने पर राशि अप्रार्थी को नियमानुसार लौटाई जावें। तहसीलदार लोहावट की मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, लोहावट

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट
जिला फलौदी